गन वायलेंस

प्रलिमि्स के लयि:

शस्त्र (संशोधन) अधनियिम, 2019

मेन्स के लयि:

समाज से संबंधति चुनौतयिाँ और मुद्दे, शस्त्र (संशोधन) अधनियिम, 2019

चर्चा में क्यों?

गन वायलेंस एक ऐसा मुद्दा है जसि पर वभिन्नि देशों में अक्सर गरमा-गरम बहस होती रहती है।

- बंदूक (Gun) वरिोधी कार्यकर्त्ताओं ने अक्सर सार्वजनकि स्थानों पर सामूहकि गोलीबारी में नरि्दोष लोगों की हत्या की ओर ध्यान आकर्षति कयिा है तथा अमेरकिा में नागरकिों द्वारा बंदूक की खरीद पर प्रतबिंध लगाने का आह्वान कयिा है, साथ ही भारत में बढ़ती बंदूक की संस्कृति पर भी चतिा जताई है।

बंदूक तक पहुँच के पक्ष में तर्क:

- कुछ लोगों का मानना है कि बंदूक वास्तव में अपराध करने की लागत बढ़ाकर अपराध की संभावना को कम कर सकती हैं। उनका मानना है कि बंदूक रखने वाले नागरकिों द्वारा संभावति रूप से बचाए गए जीवन की संख्या का आकलन करना मुश्कलि है (केवल उन अपराधों को छोड़कर जो कभी नहीं हुए क्योंकि संभावति पीड़तिों के पास बंदूक थी)।
- कुछ शोधकर्त्ताओं ने पाया है कि अमेरकिा में अश्वेतों के बीच आग्नेयास्त्रों की पहुँच और लचिगि की घटनाओं के बीच एक मज़बूत नकारात्मक संबंध है। इसका तात्पर्य है कि आग्नेयास्त्रों तक पहुँच ने अश्वेतों को लचिगि की घटनाओं से बेहतर ढंग से बचाने में मदद की।

भारत में बंदूक रखने वालों की स्थति:

- वर्ष 2018 के स्मॉल आर्म्स सर्वे ने दावा कयिा कि भारत में असैन्य बंदूक का स्वामतिव आश्चर्यजनक रूप से 70 मलियिन है, जो अमेरकिा के बाद दूसरे स्थान पर है।
  - यह आँकड़ा अजीब लगता है, यह देखते हुए कि भारत में बंदूक लाइसेंसों की संख्या सरि्फ 3.4 मलियिन है, उनमें से एक-तहिाई से अधकि उत्तर प्रदेश में हैं।
- वर्ष 2016 में भारत **बंदूक से की गई हत्याओं** के मामले में तीसरे स्थान पर था, जसिमें 90% से अधकि मामलों में बनिा लाइसेंस वाले हथयिारों का प्रयोग शामलि था **जो इंगति करता है कि अवैध बंदूकों की ज़ब्ती, एक बड़ी समस्या के लयि कम प्रभावशाली कदम है।**
- राष्ट्रीय अपराध रकिॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2020 की रपिोर्ट के अनुसार, उस वर्ष लगभग **75,000 आग्नेयास्त्रों को ज़ब्त कयिा गया था,** जनिमें से लगभग आधे उत्तर प्रदेश से थे, जो व्यापक रूप से अवैध हथयिारों के नरि्माण के केंद्र के रूप में जाना जाता है।

भारत में शस्त्र नयिंत्रण कानून:

- **शस्त्र अधनियिम, 1959:**
  - **परचिय:** इसका उद्देश्य भारत में हथयिारों और गोला-बारूद के अधग्रिहण, कब्ज़े, नरि्माण, बक्रिी, आयात, नरि्यात एवं परविहन से संबंधति सभी पहलुओं को शामलि करना है।
  - **भारत में बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने के लयि अर्हताएँ:**
    - भारत में बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने के लयि न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है।
    - आवेदन करने से पाँच वर्ष पूर्व आवेदक को हसिा या नैतकिता से जुड़े कसिी भी अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया हो, वह 'वकिृत दमिाग' का न हो, न ही सार्वजनकि सुरक्षा और शांति के लयि खतरा हो।

        - **संपत्ति योग्यता** बंदूक लाइसेंस प्राप्त करने के लिये एक मानदंड नहीं है।
        - कोई आवेदन प्राप्त होने पर लाइसेंसिंग प्राधिकरण (अर्थात, गृह मंत्रालय), निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को निर्धारित समय के भीतर पूरी तरह से जाँच के बाद आवेदक के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये कहता है।
    - **अधिनियम की अन्य विशेषताएँ:**
        - यह **'निषिद्ध हथियार'** को उन हथियारों के रूप में परिभाषित करता है जो या तो कोई भी हानिकारक तरल या गैस छोड़ते हैं, या ऐसे हथियार जिन्हें चलाने के लिये ट्रिगर दबाने की आवश्यकता होती है।
        - यह फसल सुरक्षा या खेल के लिये कम-से-कम 20 इंच के बैरल के साथ चिकनी बोर बंदूक के उपयोग की अनुमति देता है।
        - **किसी भी संस्था को ऐसी किसी भी प्रकार की बंदूक को बेचने** या स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है, जिस **पर निर्माता का नाम,** निर्माता का नंबर या कोई मुहर लगी पहचान चिह्न नहीं है।
- **आयुध संशोधन अधिनियम, 2019:**
    - 2019 में संशोधित आयुध अधिनियम में एक व्यक्ति द्वारा खरीदी जा सकने वाले आग्नेयास्त्रों की संख्या को **3 से घटाकर 2** किया गया।
    - लाइसेंस की वैधता को वर्तमान **के 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है।**
    - यह सामाजिक सद्भाव सुनिश्चित करने के लिये लाइसेंस प्राप्त हथियारों के उपयोग को कम करने के लिये विशिष्ट प्रावधानों को भी सूचीबद्ध करता है।
    - बिना लाइसेंस के प्रतिबंधित गोला-बारूद के अधिग्रहण, हथियाने या ले जाने के अपराध के लिये जुर्माने के साथ-साथ **कारावास की सज़ा को 7 से 14 साल के बीच कर दिया गया है।**
        - यह बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्रों की एक श्रेणी को दूसरी श्रेणी में बदलने पर रोक लगाता है।
        - गैरकानूनी निर्माण, बिक्री और हस्तांतरण के लिये कम-से-कम सात साल के कैद की सज़ा दी जा सकती है, जिसे जुर्माने के साथ-साथ आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

आगे की राह

- एक तरीका यह है कि सख्त बंदूक नियंत्रण लागू किया जाए और गंभीरता के साथ प्रतिबंधित किया जाए कि कौन हथियार खरीद सकता है। इस संबंध में अमेरिकी कानून बहुत लचीले और उदार हैं।
- भारत को भी आग्नेयास्त्रों के अधिग्रहण और कब्ज़े से संबंधित कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें कड़ा करने की आवश्यकता है।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/gun-violence